न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली) राज०

पीठासीन अधिकारी : डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर०ए०एस०

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : 173/2011

SCMS NO. : 2011/00257

–:: प्रार्थी ::–

1. समन्दर कंवर पुत्री लक्ष्मणदान
2. नन्दाकंवर पुत्री लक्ष्मणदान
   जातियान– चारण, निवासीगण– गांव खराड़ी, तहसील– जैतारण, जिला– पाली।

बनाम

–:: अप्रार्थीगण ::–

1. प्रकाशकंवर पत्नी नारायणदान
2. कल्याणदान पुत्र लक्ष्मणदान
   जातियान– चारण, निवासीगण– गांव खराड़ी, तहसील– जैतारण, जिला– पाली, राज०।
3. तहसीलदार जैतारण एवं उपपंजियन अधिकार तहसील जैतारण, जिला– पाली।

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख रजू: 29/03/2011

उपस्थितः. 1. श्री सुरेश चौधरी, अधिवक्ता, प्रार्थीगण।
2. श्री ओमप्रकाश पंचारिया, श्री रामस्वरूप चौधरी, अधिवक्तागण, अप्रार्थीगण।

–:: निर्णय ::–

दिनॉकः 25/03/2021

वकील मय प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955, के तहत् इस आशय का पेश किया कि सायलान एवं गैरसायलान सभी एक ही पूर्वज मुरारदान जी के वंशज है। वंश वृक्षावली के अनुसार सायलान व गैरसायलान सभी लक्ष्मणदान जी के जायन्दा पुत्रीयां, पुत्र एवं पुत्रवधु है तथा सायलान व प्रतिवादीगण धर्म से हिन्दू है। जिन पर हिन्दू विधि लागू होती है। सायलान व गैरसायलान सभी लक्ष्मणदान जी के सभी विधिक उत्तराधिकारी भी है। राजस्व मौजा खराड़ी तहसील जैतारण जिला पाली में लक्ष्मणदान पुत्र मुरारदान जी के खातेदारी व कब्जा काश्त की जमीन इस प्रकार है:– खसरा नम्बर 280 रकबा 09–07 बीघा किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 586 रकबा 12–09 बीघा, किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 1017/1 रकबा 10–01 बीघा किस्म– बारानी दोयम, खसरा नम्बर 1046 रकबा 09–19 बीघा किस्म चाही सोयम कुल खसरा 04 कुल रकबा 41–16 बीघा उपरोक्त खसरा नम्बरान् के आराजी के रेकर्डेड खातेदार काश्तकार लक्ष्मणदान पुत्र मुरारदान जी थे, जिनके नाम के जमाबन्दी सम्वत् 2030 से 2036, 2020 से 2023 की इस प्रार्थना पत्र के साथ पेश है। इस आराजी को प्रार्थना पत्र में आगे विवादित आराजी के नाम से निर्दिष्ट किया जायेगा। विवादित आराजी लक्ष्मण[illegible] पु[illegible] मुरारदान जी की खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि थी। लक्ष्मण[illegible] पर फौतदेगी म्युटेशन संख्या 445 दिनांक 11.10.1977 को भरा ग[illegible] था। जिसमें [illegible]धित हल्का पटवारी ने लक्ष्मणदान जी के विधिक उत्तराधिकारी की कोई जांच नही की एवं लक्ष्मणदान जी के बड़े पुत्र नारायणदान जी के कहेनुसार विवादित आराजी

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 11:40:22 IST
Reason: SelfAttested

रायणदान जी स्वयं व उनके छोटे भाई कल्याणदान व प्रहलाददान के नाम दर्ज कर ।, तत्पश्चात प्रहलाददान जी निसंतान फौत हो गये थे। तब उक्त आराजी माता जर कंवर के नाम दर्ज कर दी गई। सायलान दोनों की लक्ष्मणदान जी की ायन्दा पुत्रीयां हैं। जो हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के धारा 08 के माफिक ारायणदान जी के चल व अचल सम्पति व विवादित आराजी की प्रथम श्रेणी की उत्तराधिकारी है। म्युटेशन संख्या 445 गलत व विधि विरूद्ध है। जिससे सायलान के हक व अधिकारों के विरूद्ध शून्य व निस्प्रभावी है। सायलान प्रत्येक विवादित आराजी में से अपने 1/4 वां हक हिस्से की खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने की अधिकारिणी है। इसलिये यह प्रार्थना पत्र बाबत् घोषणा का विरूद्ध गैरसायलान के पेश है तथा म्युटेशन संख्या 445, म्युटेशन संख्या 848, म्युटेशन संख्या 1124 काबित आपास्त के है। जिन्हे जरिये रेकर्ड दुरूस्ती की घोषणा के अपास्त किया जाकर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 08 के माफिक सायलान को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना आवश्यक होने से यह प्रार्थना पत्र बाबत् घोषणा का विरूद्ध गैरसायलान के पेश है। विवादित आराजी सायलान व गैरसायलान संख्या एक व दो की संयुक्त, शामलाति पैतृक व पुश्तैनी भूमि है। जिसका अभी तक बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के कोई बंटवाड़ा भी नही हुआ है तथा आराजी में भी गलत से तत्तकालीन हल्का पटवारी ने सायलान का नाम भी रेकर्ड में दर्ज करने से छोड दिया था एवं प्रतिवादीया संख्या एक के पति व गैरसायलान संख्या दो के नाम गलत म्युटेशन के आधार पर राजस्व रेकर्ड में नाम दर्ज कर दिये जिससे अब गैरसायलान की नियत खराब हो गई है। गैरसायलान सायलान आराजी से पूर्ण रूप से वंचित करना चाह रहे है। इसी मंशा से गैरसायलान विवादित आराजी को जरिये रहन बेचान, वसीयत के अन्य हस्तान्तरण करने को आमादा है। एवं मौके पर भी सायलान को उनके हक हिस्से की भूमि पर काश्त करने में हस्तक्षेप व दखलंदाजी कर रहे है। दिनांक 20.09.2011 को गैरसायलान संख्या एक ने गांव खराड़ी में सायलान को एलानिया कथन किया कि– इस भूमि में तुम्हारा कोई हक व अधिकार नही है। इस बार फसल लेने के बाद मै तुम दोनों बहिनों को इस आराजी से बेदखल करके जमीन बेच दूंगी, तब सायलान द्वारा समझाने के बावाजूद भी गैरसायलान नही मान रहे है एवं सायलान को उनके हक हिस्से की आराजी से पूर्ण रूप से वंचित करना चाह रही है। अगर गैरसायलान ऐसा दुष्कृत्य करने में सफल हुये तो सायलान अपनी पैतृक व पुश्तैनी आराजी से हमेशा हमेशा के लिय वंचित हो जायेगी व सायलान को अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी कदर संभव नही है। सायलान गैरसायलान के ऐसे अवैध बेदखली व बेचान के कृत्यों का विरोध करेगी एवं अजनबी केता को भी इस आराजी में प्रवेश नहीं करने देगी। जिससे विवाद बढेगा व मल्टीप्लीसिटी आफ प्रोसिडिंग्स होगी तब ऐसी विषम परिस्थितियों में सायलान के पास अदालत हाजा में यह प्रार्थना पत्र पेश करने के अलावा अन्य कोई विकल्प शेष नही रहने से यह प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा का विरूद्ध गैरसायलान के पेश है। विवादित आराजी सायलान की पैतृक व पुश्तैनी होने से एवं समस्त तथ्यों परिस्थितियों व दस्तावेजात के आधार पर प्रथम दृ

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 11:40:22 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

ष्टया सायलान ही मजूबत मामला है। यदि गैरसायलान जबरदस्ती सायलान को इस आराजी से बेदखल कर आराजी अन्य हस्तान्तरण कर देते है तो सायलान को अपूर्णीय क्षति होगी तब सुविधा का संतुलन भी सायलान के पक्ष में है। इसलिये अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र विरूद्ध गैरसायलान के पेंश है। अतः अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र बहक सायलान विरूद्ध गैरसायलान के पेश कर निवेदन है कि सायलान अपने हक हिस्से की आराजी का उपयोग उपभोग करे तो गैरसायलान उसमे हस्तक्षेप व दखलंदाजी नही करे एवं वाद के अन्तिम निस्तारण तक इस आराजी को जरिये रहन बेचान वसीयत के अन्य हस्तान्तरण भी नही करें। इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा सादिर फरमावे।

इस पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस के तलब किये गये। अप्रार्थीगण संख्या 01 ने जवाब प्रार्थना–पत्र पेश किया जो सा0मि0 है। अप्रार्थीगण संख्या 01 ने जवाब प्रार्थना–पत्र में जाहिर किया कि प्रार्थना पत्र के पद संख्या 01 में वर्णित तथ्यों का जवाब है कि प्रार्थना पत्र के पद संख्या 1 में सायलान् ने लक्ष्मणदान की वंशावली बतायी जो अपूर्ण है। नारायणदान के गैरसायलान संख्या पत्नी के अलावा चार पुत्रीयां है। उषा, रेखा, अनु, अश्वीनी है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 2 में दर्ज कथन का जवाब है कि पद संख्या 2 में दर्ज कृषि भूमि आज से 46 वर्षो पूर्व लक्ष्मणदान के नाम की खातेदारी की थी। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 03 में दर्ज कथन का जवाब है कि प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि के खातेदार लक्ष्मणदान की मृत्यु होने पर फौतदगी म्युटैशन संख्या 445 दिनांक 11.10.1997 को रेवेन्यु एजेन्सी ने मौके पर उक्त कृषि भूमि के कब्जे काश्त की जांच कर उनके वारिसान नारायणदान, कल्याणदान, के नाम जमाबन्दी में दर्ज किया जो विधिसम्मत् है। सायलान् लक्ष्मणदान की वारिसान है, परन्तु जिनका विवाह आज से करीब क्रमशः 45 व 23 वर्षो पूर्व हो चुका है, जो वर्तमान में अपने पीहर खराड़ी नहीं रहकर ससुराल नारायणीया व खैरवाड़ा लिा डूंगरपुर में मय परिवार के रहती है इसके अलावा भी चारण जाति में पुत्रीयों को उनके विवाह के समय उनके माता पिता व भाईयों ने सायलान को दहेज के रूप में लाखों रूपये रोकड व सोना चांदी के जेवरात दे दिये। इस कारण से उनका अपने पिता की सम्पति/आराजी में कोई हक अधिकार नहीं बनता है। इस कारण से प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि के किसी भू भाग पर अधिकार नही है। उनके अधिकार शादी होते ही अपने पिता की आराजी में स्वतः ही समाप्त हो जाते है न ही उक्त कृषि भूमि के किसी भू भाग पर कब्ज काश्त है। रेवेन्यू एजेन्सी ने राजस्व रेकर्ड में जरिये म्यूटेशन संख्या 445, 848, 1124 के प्रविष्टियां की है, जो सही है। सम्पूर्ण मौके पर कब्जा काश्त की है जो विधिसम्मत् है। सायलान का उक्त कृषि भूमि में 1/4 हिस्से की अधिकारी की घोषणा करवाने की कतई अधिकारी नहीं है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 4 में दर्ज पूर्णतया गलत व झूठे है प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी संयुक्त खातेदारी पैतृक व पुश्तैनी नहीं है बल्कि उक्त कृषि भूमि में लक्ष्मणदान जी ने अपने जीवनकाल में आज से 40 वर्षो पूर्व दोनों पुत्रों नारायणदान व कल्याणदान के आपस में मौखिक रूप से बंटवाड़ा कर

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 11:40:22 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

या तब से कल्याणदान व नारायणदान अलग अलग काश्त करते आ रहे है तथा मौके पर खेतों के बीच माठें भी कायम है। तब से उक्त कृषि भूमि पर गैरसायलान संख्या 01 के पति तथा उनके मरने के बाद उनकी पत्नी व प्रतिवादी संख्या 02 अलग अलग काश्त करते आ रहे है। उक्त कृषि भूमि को मौके पर बंट्वाड़ा होने से अब कानूनन बंट्वाड़ा करने के कतई आवश्कता नहीं है। उक्त कृषि भूमि में रेवेन्यू एजेन्सी पट्वारी, आर.आई. व तहसीलदार ने प्रतिवादी संख्या 01 के पति व प्रतिवादी संख्या 02 का कब्जा काश्त होनें से जो म्यूटेशन भरे सही व विधिसम्मत् है। जो कतई निरस्त योग्य नहीं है। यह तथ्य सही है कि गैरसायल संख्या 01 अनपढ़ ग्रामीण,पर्दानसीब विधवा औरत है जिसके पति की मृत्यु हुये करीब 13 वर्ष हो चुके है, जिसके कोई पुत्र नहीं है, जो नाबालिग व तीनों अविवाहित है। प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि पर काश्त कर अपना व अपनी पुत्रीयों का भरण पोषण करती है जिसकी आराजी को हड़पने की नियत से सायलान व प्रतिवादी संख्या 02 ने उक्त कृषि भूमि के सम्बन्ध में दुरभिसंधी कर यह प्रार्थना पत्र पेश किया। गैरसायल संख्या 1 की आराजी को हड़पने की नियत से प्रार्थना पत्र के पद संख्या 2 में वर्णित खसरा नम्बर 586 रकबा 12-09 बीघा के 1/2 हिस्से को जो बहुत ही कीमती खनिज चाईना क्ले निकलता है। उक्त कृषि भूमि को प्रतिवादी संख्या 02 स्वयं एवं उनके पुत्र जोरावरसिंह ने प्रतिवादी संख्या 01 जो की एक विधवा है को धोखे से बहलाफुसलाकर बिना प्रतिफल की राशि दिये उसे अपने ससुराल खराड़ी से यह कहकर जैतारण लाया गया कि तुम्हे सरकार की तरफ से राशि मिल रही है लेकर आये व जैतारण में उपपंजियन कार्यलय के यहां दिनांक 07.03.2011 को खसरा नम्बर 586 के गैरसायल संख्या 01 के हिस्से की भूमि को बैचान करवा दी। जिसके जानकारी गैरसायल संख्या 1 को होने पर गैरसायल संख्या 1 ने अपने रिश्तेदारें को कहा व गैरसायल संख्या 2 को भी औलबा दिया तथा उन्होंने यह आश्वासन दिया कि उक्त भूमि तुम्हे वापिस रजिस्ट्री करवा देंगें। दो माह गुजरने के वाद भी उन्होंने रजिस्ट्री करवानें से स्पष्ट इन्कार कर दिया। उल्टा दिनांक 23.09.2011 को यह गलत तथ्यों के आधार पर गैरसायल संख्या 2 व उसके पुत्र जोरावरदान ने सायलान से मिलकर यह वाद व प्रार्थना पत्र पेश करवा दिया। जबकि सायलान का उक्त कृषि भूमि में कोई हक व अधिकार नहीं है। सायलान का प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि पर कब्जा काश्त नहीं है तो फिर सायलान द्वारा उनके हिस्से की भूमि से काश्त करनें में हस्तक्षेप करना, दिनांक 20.09.2011 को खराड़ी में धमकी देना व काश्त कब्जे से बेदखल कर जमीन कब्जे में लेना, बेचान करना, गैरसायलान संख्या 1 को समझाने पर नहीं मानना आदि के कथन पूर्णतया गलत झूठे तथा प्रार्थना पत्र करने [illegible] झूठे लिखे है। सायलान गांव खराड़ी में नही रहकर गांव नारायणीया, [illegible] पुर में अपने ससुराल में पिछले 45 व 23 वर्षो से रह रही है। [illegible] संख्या 01 प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि में जिसकी वे अपने हिस्से की एकमात्र खातेदार काश्तकार है। अपने हिस्से की भूमि को अपनी इच्छानुसार उपयोग उपभोग व काम में लेने की अधिकारी है। सायलान का उक्त भूमि में कोई अधिकार ही नहीं है तो अपूरणीय क्षति होनें

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 11:40:22 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

ा प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। सायलान का उक्त भूमि पर न तो कब्जा काश्त है । ही खातेदार है तो फिर एक खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करनें के कतई अधिकारी नहीं है। सायलान ने उक्त भूमि पर कब्जे काश्त बाबत् कोई गेरदावरी, लगान आदि की रसीदें के भी दस्तावेजात् पेश नहीं किये तथा अपने पिता के 35 वर्षो मृत्यु बाद तथा अपनी माता की मृत्यु को करीब 13 वर्षो बाद तथा अपने भाई नारायणदान की मृत्यु के करीब 13 वर्ष बाद उक्त कृषि भूमि के सम्बन्ध में म्युटेशन संख्या 445, 848, 1124 भरे जाने के बहुत ही देरीना बाद यह वाद व प्रार्थना पत्र पेश किये है। जो उक्त कृषि भूमि के सम्बन्ध में अपना नाम दर्ज करवाने के सम्ब्ध में वाद व प्रार्थना पत्र अन्द म्याद प्रस्तुत नहीं किये जाने के भी पोषणीय नहीं है। सायलान का न तो प्रथम दृष्टिया मामला है, न ही सुविधा का सन्तुलन है, न ही उन्हें कोई अपूरणीय क्षति हो रही है। मात्र गैरसायलान संख्या 1 जो कि एक विधवा है कि जिसके कोई पुत्र नहीं होनें से उसकी आराजी को हड़पने की नियत से सायलान व प्रतिवादी संख्या 02 के परिवार के लोगों ने पुत्र, पत्नी आदि ने दुरभिसंधी कर यह वाद व प्रार्थनपात्र पेश किया है जो पोषणीय नहीं है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र मय शपथपत्र व दस्तावेज पेश कर अर्ज है कि सायलान द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज फरमावें।

बहस वकुलाय राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 पर सुनते हुए उस पर मनन किया। प्रकरण का बिंदूवार विवेचन एवं निर्णयन निम्नानुसार हैः-

1. प्रथम दृष्टया मामला :- पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थीयान द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में खातेदारी अधिकारों की घोषणा, स्थाई निषेधाज्ञा एवं अभिलेख दुरूस्ती बाबत् न्यायालय हाजा में वाद प्रस्तुत किया जो जैरकार है। प्रार्थीयान् द्वारा कथन किया गया है कि वादग्रस्त आराजी पैतृक पुश्तैनी आराजी है तथा हिन्दू उत्तराधिकार विधि के अनुसार प्रार्थीयान् स्वर्गीय लक्ष्मणदान की पुत्रीयां होनें के नाते वादग्रस्त आराजी में अपना हक हिस्सा जन्म से रखती है। अप्रार्थीगण ने इसका विरोध करते हुये कथन किया है कि प्रार्थीयान् शादीसुदा है तथा शादी होते ही अपने पिता की आराजी में उनके अधिकार स्वतः समाप्त हो जाते हैं। अतः प्रथम दृष्टयां मामला उनके पक्ष में निहित नहीं है। वादपत्र के मुख्य अनुतोष पर निर्णायक टिप्पणी किये बिना हमारा विनम्र अभिमत है कि पैतृक आराजी में पुत्र के समान ही पुत्रीयां भी अपना हक रखती है तथा अपने हक हिस्से तक प्रथम दृष्टयां मामला प्रार्थीयान के पक्ष में साबित होता है।

2. सुविधा का सतुंलन :- चुंकि वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीयान के पक्ष में निहित होना साबित हुआ है तथा प्रार्थीयान द्वारा वादग्रस्त पैतृक पुश्तैनी आराजी में जन्म से ही अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा हेतु दावा प्रस्तुत किया है। अतः अपने हिस्से तक सुविधा का सतुंलन प्रार्थीयान के पक्ष में साबित होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.03.24 11:49:32 IST
Reason: SelfAttested

3. अपूरणीय क्षति :- चुंकि उपर्युक्त दोनों बिन्दू प्रार्थीयान के पक्ष में साबित हुये है साथ ही यदि अप्रार्थीगण को पाबन्द नहीं किया जाता है तो यह पूर्ण आशंका है कि

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

उनके द्वारा वादग्रस्त आराजी का हस्तान्तरण किया जा सकता है तथा ऐसा होनें पर वाद में अनावश्यक जटिलता उत्पन्न होगी एवं विलम्ब होगा। जिससे प्रत्यक्ष रूप प्रार्थीयान प्रभावित होगी। अतः यह स्पष्ट है कि यदि प्रार्थीयान के पक्ष में एवं अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं कि जाती है तो प्रार्थीयान को अपूरणीय क्षति होगी।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में अप्रार्थीगण को ताफैसला वाद बैचान, हस्तान्तरण न करनें हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा से निरूद्ध किया जाना विधि संगत एवं आवश्यक है।

–: आदेश :–

अतः उपर्युक्त विवचेन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थीया अंतर्गत धारा 212, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा बखूबी साबित होनें एवं सारवान होनें से स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वह ताफैसला वाद वादग्रस्त आराजी राजस्व मौजा खराड़ी तहसील जैतारण जिला पाली के खसरा नम्बर 280 रकबा 09–07 बीघा किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 586 रकबा 12–09 बीघा, किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 1017/1 रकबा 10–01 बीघा किस्म–बारानी दोयम, खसरा नम्बर 1046 रकबा 09–19 बीघा किस्म चाही सोयम कुल खसरा 04 कुल रकबा 41–16 बीघा का बैचान व हस्तान्तरण नहीं करें तथा वर्तमान भू–अभिलेख में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करें। पत्रावली इसी माफिक निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ़्तर हो।

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला–पाली)

निर्णय आज दिनॉक 25/03/2021 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला–पाली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 11:40:22 IST
Reason: SelfAttested